यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–106/17 (RCMS No. 2017/00117) (75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामसिंह पुत्र काना
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामनारायण
3. श्रीनिवास पुत्र हरिनारायण
4. बत्तीलाल पुत्र बिरधी चन्द
5. अणता राम पुत्र बिरधी चन्द
6. हनुमान पुत्र किशना

जाति मीना निवासी सीनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर

..............अपीलान्टस

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर
2. आम जनता ग्राम सिनोली जरिये आशाराम पुत्र गोपी लाल जाति मीना निवासी सीनोली तहसील व जिला स0मा0
3. फैलूराम पुत्र गोविन्दा
4. जमना लाल पुत्र गोविन्दा
5. बुद्धराम पुत्र सीताराम
6. घनश्याम पुत्र गोपाल

जाति मीना निवासी सीनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर

..............रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 19.02.2015

उपस्थितिः–

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री जगन्नाथ चौधरी वकील रैस्पो0

निर्णय **दिनांकः– 29.12.2017**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 19.02.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थीगण/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी साबिक ख0नं0 209, 345, 255 वांके ग्राम सिनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर चारागाह दर्ज है तथा भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त साबिक ख0 नं0 209 रकवा 13 बीघा 1 विस्वा के हाल ख0 नं0 1373 रकवा 41 एयर तथा 345 रकवा 45 बीघा के हाल ख0 नं0 1428/1992 रकवा 23 एयर तथा साबिक ख0 नं0 255 रकवा 5 बीघा चारागाह के हाल ख0 नं0 1563/2365 व 1563/2335 रकवा 34 एयर बनाये हैं। इसी प्रकार साबिक ख0 नं0 209 के हाल ख0 नं0 1378, 1377 दर्ज किये हैं तथा साबिक ख0 नं0 255मिन रकवा क्रमशः 59 बीघा 1 विस्वा चारागाह के हाल ख0नं0 1563/2335 व 1563/2365 रकवा क्रमशः 1.11 है0 व 50 एयर कायम

किये हैं। जमाबन्दी सं0 2035 से 2038 में भी यह भूमि चारागाह के रूप में दर्ज रही है। उक्त भूमि में ग्रामवासियों के मवेशियां चरती हैं। कुछ ग्रामवासियों ने भू प्रबन्ध विभाग से साज कर चारागाह भूमि को सिवायचक में दर्ज करवा लिया। भू प्रबन्ध विभाग ने अधिकार क्षेत्र के बाहर इन्द्राज बदले हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर साबिक ख0 नं0 209, 255, 345 से बने हाल ख0 नं0 की दुरूस्ती की जाकर चारागाह दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार स0 मा0 से रिपोर्ट लेकर गत ख0 नं0 209, 255, 345 से बने हाल ख0 नं0 1373 रकवा 0.72, 1428/1992 रकवा 0.23, 1563/2335 रकवा 3.79, 1377 रकवा 1.26, 1378 रकवा 0.25 है0 को सिवायचक लगानी के बजाय गैर मुमकिन चारागाह दर्ज करने के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट तलब नही की है। जबकि ख0 नं0 1563/2335 रकवा 3.79 है0 में गत 10 वर्ष से सार्वजनिक जन सहयोग से गौशाला संचालित हो रही है। ग्राम सीनोली के गत ख0 नं0 209, 255, 345 से बने हाल ख0 नं0 1373 रकवा 0.72, 1428/1992 रकवा 0.23, 1563/2335 रकवा 3.79, 1377 रकवा 1.26, 1378 रकवा 0.25 है0 मौके के अनुसार सिवायचक दर्ज किया गया था। लेकिन रैस्पो0 सं0 2 लगायत 6 बिना किसी अधिकार के राजस्व रिकार्ड में सिवायचक से चारागाह दर्ज कराना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने पर अपील अन्दर मियाद पेश की है तथा धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही थे इसलिये धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट प्राप्त की है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भू प्रबन्ध विभाग की संक्रियाऐं शुरू होने से पहले विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज थी। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने बन्दोवस्त द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर किये गये इन्द्राजात को पूर्व की जमाबन्दी के अनुसार दुरूस्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर विवादित आराजी साविक ख0नं0 209, 345, 255 वांके ग्राम सिनोली तहसील व जिला सवाई माधोपुर जो पूर्व में चारागाह दर्ज थी, को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिया, की दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार स0मा0 से रिपोर्ट लेकर गत ख0 नं0 209, 255, 345 से बने हाल ख0 नं0 1373 रकवा 0.72, 1428/1992 रकवा 0.23, 1563/2335 रकवा 3.79, 1377 रकवा 1.26, 1378 रकवा 0.25 है0 को सिवायचक लगानी के बजाय गैर मुमकिन चारागाह दर्ज करने के आदेश पारित किये है।

पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सं0 2035 से 2038 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी ख0 नं0 209, 255, 345 चारागाह दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सं0 2044 से 2047 में भी विवादित आराजी चारागाह दर्ज रिकार्ड है। परन्तु हाल रिकार्ड में विवादित आराजी चारागाह दर्ज रिकार्ड नही है। भू प्रबन्ध विभाग ने भू प्रबन्ध संक्रियाऐ शुरू होने के समय उक्त चारागाह भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया है, जो भू प्रबन्ध के अधिकार क्षेत्र में नही था। भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी अधिकार के गत इन्द्राज को बदला है जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की है। तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक 2014 दिनांक 30.10.14 के अनुसार विवादित आराजी गत ख0 नं0 209, 255, 345 से बने हाल ख0 नं0 1373 रकवा 0.72, 1428/1992 रकवा 0.23, 1563/2335 रकवा 3.79, 1377 रकवा 1.26, 1378 रकवा 0.25 है0 वांके ग्राम सीनोली सिवाय चक दर्ज हैं उक्त खसरा नम्बरान पूर्व में गै.मु. चारागाह दर्ज रिकार्ड थे। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से भी विवादित आराजी पूर्व में गै0मु0 चारागाह दर्ज थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध के दौरान उक्त खसरा नम्बरान की किस्म बदली है, जो क्षेत्राधिकार के बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने गत जमाबन्दी के अनुसार हाल रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश प्रदान कर दुरूस्ती के आदेश पारित किये हैं, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील सारहीन है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.02.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official